न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. तारीया पुत्र हाजी जी जाति सुथार निवासी नया खेड़ा, बागोडा, तहसील बागोडा जिला जालोर		1. दला पुत्र जीवाजी 2. हिम्मता पुत्र जीवाजी 3. अजा पुत्र जीवाजी 4. फुला पुत्र भीमाजी 5. केवा पुत्र भोमाजी जातिगण सुथार (जांगीड ब्राहम्ण) निवासीगण नया खेडा, बागोडा 6. श्रीमती सीता पुत्री केसाजी पत्नी तगाराम जाति सुथार निवासी बागोड़ा हाल अण्खोल तहसील सांचौर 7. श्रीमती रामू पुत्री केसाजी पत्नी सवाराम जाति सुथार निवासी बागोडा हाल नांदीया तहसील बागोड़ा 8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 11/2/19

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2011 तारीया बनाम दला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.09.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी भूमि है, जिसके गत खसरा नम्बर 226 थे। खसरा नम्बर 226 से हाल खसरा नम्बर 832 व 834 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 11.73 हैक्टेयर कायम हुए। गत खसरा नम्बर की भूमि में अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज था। दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा गत रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित कर दिया, जबकि आज भी जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। अपीलाण्ट को राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटी की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त कराते हुए खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया तथा दौराने वाद रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद में अंकित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज़ कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त कराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान् के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है। अपीलाण्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ रेस्पोडेन्ट को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट जैर अपील विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द नहीं किया जा सकता हैं। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 27.09.2012 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2012 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 2½ माह की अवधि व्यतीत होने पर प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर भू–प्रबन्ध के दौरान पुराने रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय अपना नाम राजस्व रेकर्ड से विलोपित होना बताते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा एवं दौराने वाद राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति में होने वाले परिवर्तन से रोकने हेतु रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध वाद के साथ अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी के सम्बन्ध में सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान हुए विभाजन से खातेदारी अधिकार प्राप्त होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट को अन्य भूमि दिया जाना जाहिर करते हुए जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं होना जाहिर किया। अब भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व रेकर्ड में क्या–क्या परिवर्तन हुए तथा उक्त परिवर्तन विधिक दृष्टिकोण से कितने प्रभावी है ? एवं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 14/2003 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2006 प्रकरण हाजा से सम्बन्धित मूल वाद को किस रूप में प्रभावित करता है ? इन तथ्यों का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आलोक में तनकीयात विनिश्चय होने पर ही संभव होगा, किन्तु यह निर्विवादित तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट जैर अपील विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा अपीलाण्ट ऐसी विशेष परिस्थितियां प्रकट करने में असफल रहे है, जिनको दृष्टिगत रखते हुए रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हो। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2011 तारीया बनाम दला वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.09.2012 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर